



कार्यालय कलेक्टर, जिला कार्यालय सुकमा (छोगो)

phone-07864284001, fax-07864-284002, Email-dmsukma@gmail.com

// अनापत्ति प्रमाण-पत्र //

क्रमांक / 1086 / क / वाचक / 2023

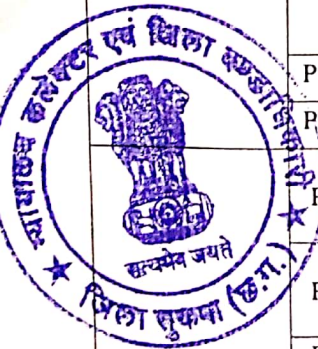
सुकमा, दिनांक 21/03/2023

महाप्रबंधक, (कार्पो अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर छोगो द्वारा सुकमा वनमंडल अंतर्गत मुख्य मार्गों के समानांतर जीयो 4जी टेलीकॉम सुविधा प्रदान किये जाने हेतु वनभूमि पर भूमिगत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित होने वाले आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि कुल रकबा 2.642 हे० को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन (गैर वानिकी प्रयोजन) हेतु ग्रामवार वनभूमि की अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है, जिसका भू-प्रत्यावर्तन उल्लेखित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

SCHEDULE OF FOREST LAND- PROTECTED & RESERVED FOREST

SUKMA- FOREST AREA STATEMENT

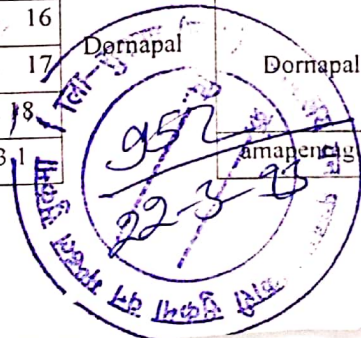
SPAN NAME	PATCH NO.	RANGE	VILLAGE	COMPA ICEMEN T NO.	TYPE OF LAND	DIVERSION AREA (In Hectare)	LENGTH (in KM)
Tongpal-Sukma	Patch I 5	Tongpal	Harimgarh	31	Reserved Forest	0.087	1.740
	Patch I 8		Keratong	P77	Protected Forest	0.035	0.700
	Patch I 9		Rokel	P77		0.022	0.440
	Patch I 10			P77		0.020	0.400
	Patch I 11	Sukma	Pakela	1 15	Reserved Forest	0.210	4.200
				1 16		0.046	0.920
				119		0.068	1.360
				118		0.052	
	Patch I 12		Sukma	1 19	Protected Forest	0.102	2.040
	Patch I 13			P175		0.017	0.340
	Patch I 13			P175		0.049	0.980
	Patch 2 1		Gogla	162	Reserved Forest	0.050	1.000
	Patch 2 2			P158	Protected Forest	0.032	0.640
	Patch 2 3			P155		0.041	0.820
	Patch 2 9			P153		0.006	0.120
Sukma-Dornapal	Patch 2 10		Ramaram	163	Reserved Forest	0.102	2.040
	Patch 2 11		Chikpal	P148	Protected Forest	0.015	0.300
	Patch 2 16		Dornapal	P274		0.033	0.660
	Patch 2 17			275	Reserved Forest	0.130	2.600
	Patch 2 18			276		0.152	3.040
Dornapal-Konta	Patch 3 1		Dornapal	283		0.056	1.120
				285		0.093	1.860
				285		0.017	0.340
			Amapencigud	287		0.038	0.760



D.M. Sukma-Dornapal

Divisional Forest Officer
Sukma Division Sukma

21/03/2023



	Patch 3 9		Manikonta	P292		0.061	1.220
	Patch 3 10			P289		0.018	0.360
	Patch 3 18			P667		0.018	0.360
	Patch 3 19		Birla	P667		0.030	0.600
	Patch 3 23			P675		0.030	0.600
	Patch 3 24			P676		0.029	0.580
	Patch 3 25	Konta	Raj penta	P699		0.069	1.380
	Patch 3 28		Metaguda	P694		0.144	2.880
	Patch 3 30		Fandiguda	P709		0.009	0.180
	Patch 3 32		Dhora	P711		0.009	0.180
	Patch 4 1			P175	Protected Forest	0.014	0.280
Mokhapal-Sukma	Patch 4 2		Sukma	P168		0.019	0.380
	Patch 4 5	Sukma		P171		0.023	0.460
	Patch 4 6		Murtonda	P171		0.049	0.980
	Patch 5 9		Kokmvada	P22		0.039	0.780
	Patch 5 13			P94		0.054	1.080
Tongpal Chhindgarh	Patch 5 14	Tongpal	Kindarwada	P94		0.030	0.600
	Patch 5 21		Pujaripal	P111		0.040	0.800
	Patch 5 22		Chhindgarh	P111		0.045	0.900
	Patch 6 1	Jagargunda		P544		0.042	0.840
	Patch 6 2		Temalwada	P543		0.035	0.700
Chintagufa-Dornapal	Patch 6 3			P542	Protected Forest	0.045	0.900
	Patch 6 6	Dornapal	Puswada	P302		0.173	3.460
	Patch 6 14		Dornapal	P299		0.060	1.200
				284	Reserved Forest	0.084	1.680
FOREST LAND (IN HECTARE)						2.642	52.840

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भूमि आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि के मद में दर्ज है जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है एवं आवेदक फर्म/संस्था द्वारा ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित मुख्य मार्गों में स्थित धार्मिक व सामाजिक विन्यास एवं किसी भी शासकीय व निजी परिसंपत्तियों को प्रभावित नहीं किया जाता है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः निम्न शर्तों पर विषयांकित ग्रामों के आवेदित खसरों की भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाली राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रदाय किया जाता है :-

01. भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन-ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु किया जावे। यदि अनापत्ति प्रमाण में उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा भूमि में किया जाता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।



//3//

02. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा आवेदक फर्म/संस्था को राजस्व विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होगा तथा ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने हेतु संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
03. ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाये जाने से किसी परिसंपत्ति की क्षति होती है तो आवेदित फर्म/संस्था उसे पूर्व की भांति स्थापित करेगी।
04. ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को किसी भी प्रकार की क्षति या काटे जाने की अनुमति नहीं होगी।
05. ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने हेतु किये जाने कार्य के लिए जिन विभागों की संपत्ति अथवा जमीन से लगा हुआ कोई स्ट्रक्चर प्रभावित होती है तो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा एवं विभाग प्रमुख/प्रतिनिधि के समक्ष कार्यवाही करनी होगी।
06. ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने के समय किसी भी प्रकार की हानि के भुगतान की संपूर्ण जवाबदेही आवेदित फर्म की होगी।

उपरोक्तानुसार किसी भी शर्तों की अवहेलना पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निस्तर कर दिया जावेगा। उपरोक्त भूमि के व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की कार्यवाही विधिवत की जाती है तो उपरोक्त भूमि के उपयोग किये जाने पर इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

पृ. क्रमांक/1086/क/वाचक/2023
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. मुख्य वनसंरक्षक जगदलपुर वृत्त।
3. वनमंडलाधिकारी वनमंडल सुकमा को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सुकमा/कोण्टा को सूचनार्थ।
5. जनरल मैनेजर (कार्पो.अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



कलेक्टर,
जिला सुकमा (छ0ग0)
सुकमा, दिनांक 21/03/2023

कलेक्टर,
जिला सुकमा (छ0ग0)
Distt.-Sukma (C.G.)